I

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक–02/ब0 एवं आ0–01–08/2026– 134. पटना, दिनांक– 06/11/2026

प्रेषक,

ऋषि कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभिन्न जिलों में सभी संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवश्यक उपस्करों के क्रय हेतु राशि रू० 50,00,000/– (रू० पचास लाख) मात्र की स्वीकृति।

आदेशः स्वीकृत।

2–पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्राओं को चयनित कर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में प्रयास कर उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सबल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य में 39 (पटना जिला में दो तथा अन्य जिलों में एक–एक) अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं, जिसमें कक्षा–6 से कक्षा–12 तक निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ निःशुल्क आवासन, भोजन, वस्त्रादि की सुविधा का प्रावधान है। उक्त आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका पत्रांक–822 दिनांक–06.04.2022 के द्वारा मार्गदर्शिका निर्गत है।

3– विभागान्तर्गत 520 आसनवाले नवनिर्मित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में स्वच्छ पेय जलापूर्ति हेतु R.O UV Water Cooler Cum Purifier के अधिष्ठापन हेतु रू0 5,00,000/– मात्र तथा पुस्तकालय अधिष्ठापन हेतु रू0 5,00,000/– मात्र की स्वीकृति अलग से प्रदान की जाती है।

4–विभिन्न जिलों में आवासीय विद्यालयों में अन्य आवश्यक उपस्करों यथा–टेबल, मेस हेतु कुर्सी एवं टेबुल, स्टडी चेयर विथ राईटिंग पैड, खेल सामग्री, बेड, टी0बी0 55'', सिलिंग फैन, ट्युब लाईट एवं बल, थ्री सिटर स्टील चेयर, गद्दा आदि के क्रय की आवश्यकता के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभिन्न जिलों में सभी संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में आवश्यक उपस्करों के क्रय हेतु राशि रू० 50,00,000/– (रू० पचास लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5–उक्त आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका पत्रांक–822 दिनांक–06.04.2022 की कंडिका–40 में सामग्रियों के क्रय/सेवाएँ हेतु उल्लेखित व्यवस्था के स्थान पर उपर्युक्त उल्लेखित आवश्यक उपस्करों का क्रय बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से किया जायेगा।

6–विभागान्तर्गत विभिन्न जिलों में संचालित उक्त आवासीय विद्यालयों के निरीक्षणोपरांत सामग्रियों की आवश्यकता के आलोक में सामग्रियों की आपूर्ति नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

7–प्रस्तावित व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–11 के तहत मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–03–पिछड़े वर्गों के कल्याण, लघु शीर्ष–277–शिक्षा, उपशीर्ष–0010–पिछड़ी जातियों के लिए बारह कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष–21 01–सामग्री एवं पूर्तियाँ विपत्र कोड–11–2225032770010 के अन्तर्गत उपबंधित राशि के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8–स्वीकृत राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के उपरांत इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी०एल० खाता संख्या–PTSPLA007 में Ledger ID-17221, Ledger Name- Operation and Maintenance of School & Hostels में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। उक्त राशि को नियमानुसार एवं वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश को ध्यान में रखकर व्यय करने की संपूर्ण जिम्मेवारी प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना का होगा।

P.T.O

9–उक्त राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

10–राशि की निकासी एवं व्यय, वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिये गये निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

11– प्रस्ताव पर दिनांक–04.11.2026 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है।

12–स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13–प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

06/11/2026

(ऋषि कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/ब0 एवं आ0–01–08/2026– 134 पटना, दिनांक– 06/11/2026

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/11/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/ब0 एवं आ0–01–08/2026– 134 पटना, दिनांक– 06/11/2026

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/11/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/ब0 एवं आ0–01–08/2026– 134 पटना, दिनांक– 06/11/2026

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/11/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/ब0 एवं आ0–01–08/2026– 134 पटना, दिनांक– 06/11/2026

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/11/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/ब0 एवं आ0–01–08/2026– 134 पटना, दिनांक– 06/11/2026

प्रतिलिपि–उप सचिव, बजट शाखा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

06/11/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/ब0 एवं आ0–01–08/2026– 134 पटना, दिनांक– 06/11/2026

प्रतिलिपि–माननीया मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

06/11/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–02/ब0 एवं आ0–01–08/2026– 134 पटना, दिनांक– 06/11/2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06/11/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।